

Facilities for importing advanced technology

(कंडिका क्रमांक 4.2.21)

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20/17/2005/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 04.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश,

विषय:—उन्नत तकनीकी आयात पर विशेष सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी.(National Reasarch Development Council)या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना।

—00—

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना की कंडिका 4.2.21 एवं 4.2.20 के उद्धरण निम्नानुसार है:—

4.2.21—एन.आर.डी.सी.(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 2.00 लाख प्रतिपूर्ति, अनुदान के रूप में देय होगा।

4.2.20—“प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लाटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,मदिरा,पान मसाला,गुटखा,परंपरागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जायेगा। आवश्यक होने पर समय-समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।”

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा उन्नत तकनीकी आयात पर विशेष सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी. (National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना निम्नानुसार लागू करने के निर्णय लिये गये हैं:—

1— उन्नत तकनीकी आयात पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नियम/कानून के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं उत्पादन प्रक्रिया हेतु उन्नत तकनीक आयात पर किये गये व्यय की शत-प्रतिशत पूर्ति अधिकतम

- रु. 2.00 लाख एवं एन.आर.डी.सी..(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति/अनुदान लघु उद्योग,वृहद एवं मध्यम उद्योग को देय होगी।
- 2- इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा स्लाटर हाउस,एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स(पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,मदिरा,पान मसाला,गुटखा,परंपरागत उद्योग इत्यादि(सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी)।शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय-समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।
 - 3- इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 1.4.2004 के पश्चात उन्नत तकनीकी आयात एवं एन.आर.डी.सी..(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय करने पर पात्रता होगी।
 - 4- इकाई को भारत सरकार से उद्योग स्थापना हेतु आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. प्राप्त कर स्थापित एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त तथा लघु उद्योग होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
 - 5- इस योजना के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा आयातित/क्रय की गई तकनीक के उपयोग से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात की जावेगी।इकाई को ऐसे उत्पादन प्रारंभ करने के 6 माह के अंदर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस शर्त को शिथिल करने के अधिकार उद्योग आयुक्त को होंगे।
 - 6- यह प्रतिपूर्ति,उन्नत तकनीक आयात एवं एन.आर.डी.सी..(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के लिये वास्तविक भुगतान की गई राशि पर किया जायेगा। इस कार्य पर हुये व्यय का सत्यापन सी.ए. के प्रमाण पत्र के आधार पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
 - 7- इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
 - अ-इकाई स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम.या महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी अस्थाई/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - ब-उन दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति जो उन्नत तकनीकी आयात करने के लिये किये गये व्यय प्रमाणित करते हों या एन.आर.डी.सी..(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की रसीद।
 - स- आवेदन सह-शपथ पत्र।

- 8— इकाईयों को यह प्रतिपूर्ति/अनुदान किसी एक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु एक बार दिया जायेगा। प्रतिपूर्ति/अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत इकाई एक से अधिक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु आवेदन कर सकेगी।
- 9— इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति/अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकता अनुसार मेपकॉस्ट (म.प्र.विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद) अथवा लघु उद्योग सेवा संस्थान अथवा राज्य/स्वदेश के प्रौद्योगिकी संस्थानों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।
- 10— योजना अंतर्गत प्रकरणों में प्रतिपूर्ति/अनुदान के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उनकी अधिकारिता क्षेत्र में होंगे।
- 11— इस योजना के क्रियान्वयन में व्याख्या की अस्पष्टता अथवा विवाद होने की दशा में उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 12— योजना हेतु आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'अ' अनुसार होगा।
इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग म.प्र.शासन द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 332/आर 463/ब-2 दिनांक 29.04.2005 से सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार
हस्ता/-
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार

विभाग

पृ.क्रमांक एफ 20/17/2005/बी/ग्यारह
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 04.06.2005

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल की ओर महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित करने बाबत।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल।

हस्ता/
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट – 'अ'

उन्नत तकनीकी आयात एवं एन.आर.डी.सी.(National Reasarch Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति/अनुदान हेतु आवेदन सह-शपथ पत्र
(नान-ज्युडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

1. इकाई का नाम एवं पता :-
2. इकाई का गठन :-
(स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि./अथवा अन्य) संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति
3. इकाई के स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम एवं पता :-
4. स्थाई पंजीयन/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक :-
5. संस्था का नाम एवं पता जिससे तकनीक क्रय की गई :-
6. आयतित तकनीक/क्रय प्रौद्योगिकी का पूर्ण विवरण (यथा आवश्यकता अतिरिक्त पेपर शीट का उपयोग करें) :-
7. तकनीक प्रदायक संस्था एवं इकाई के मध्य तकनीक प्रदाय हेतु निष्पादित अनुबंध की प्रति :-
8. तकनीक आयात/क्रय हेतु भुगतान की राशि का विवरण :-
9. अन्य विवरण :-

हस्ताक्षर

(स्वामी/भागीदार/संचालक)

शपथ-पत्र

मैं.....पिता/पति श्रीउम्र.....
निवासी.....(स्वामी/भागीदारी/संचालक) मेसर्स.....
शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :-

1. मैं उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ।
2. आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 सेमें प्रदत्त जानकारी मेरे संज्ञान से सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया अथवा कपटपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन के संलग्न समस्त दस्तावेज एवं जानकारियां सत्य एवं प्रमाणित है।
3. उक्त योजना के समस्त शर्तों को पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा।
4. यह कि योजना अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है तथा इस मद में कभी भी किसी भी संस्था से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं की गई है।
5. यह कि भविष्य में यह सिद्ध होने पर कि प्रतिपूर्ति राशि गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई है तो उक्त राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर की राशि सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूंगा।

गवाह के नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1.
2.

हस्ताक्षर

(स्वामी/भागीदार/संचालक)

दिनांक

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर

(स्वामी/भागीदार/संचालक)
(नाम एवं पता)
